

## विधान सभा सत्र सत्र 2024

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1655, द्वारा मान. श्री आरिफ मसूद


परिशिष्ट-एक

वनमण्डलाधिकारी एवं प्रबंध संचालकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण

क.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	की गई कार्यवाही
1	2	3
1	श्री देवांशु शेखर, भावसे, तत्कालीन वनमण्डलाधिकारी प्रबंध संचालक, जिला यूनियन उमरिया	म.प्र. शासन, वन विभाग द्वारा पत्र दिनांक 23.09.2021 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है। अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।
2	श्री डी.एस. कनेश, सेवा निवृत्त भावसे, तत्कालीन वनमण्डल अधिकारी/प्रबंध संचालक, जिला यूनियन उमरिया	म.प्र. शासन, वन विभाग द्वारा पत्र दिनांक 29.07.2021 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है। आरोप पत्र का उत्तर समाधानकारक न पाये जाने से विभाग के आदेश दिनांक 13.09.2022 द्वारा नियमित विभागीय जांच संस्थित की गई है। जांच पूर्ण होकर प्रकरण निर्णय हेतु विचाराधीन है।
3	श्री एम.एस. भगदिया, सेवा निवृत्त भावसे, तत्कालीन वनमण्डल अधिकारी/प्रबंध संचालक, जिला यूनियन उमरिया	श्री एम.एस. भगदिया, भावसे के दिनांक 30.04.2020 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण श्री भगदिया के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवाएं (डीसीआरबी) नियम, 1958 के नियम-6(बी) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने हेतु विभाग के पत्र दिनांक 05.01.2023 द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार के पत्र दिनांक 20.12.2023 प्रकरण यह अंकित किया जाकर कि श्री भगदिया के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जून, 2023 तक की जा सकती थी, उक्त अवधि समाप्त हो जाने के कारण अवगत प्रकरण में श्री भगदिया के विरुद्ध कार्यवाही की जाना संभव नहीं है। प्रकरण मूलतः वापस किया गया है।
4	श्री आर.एस. सिकरवार, सेवा निवृत्त भावसे, तत्कालीन वनमण्डल अधिकारी/प्रबंध संचालक, जिला यूनियन उमरिया	म.प्र. शासन, वन विभाग द्वारा पत्र दिनांक 30.12.2020 द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है। आरोप पत्र का उत्तर समाधानकारक न पाये जाने से विभाग के आदेश दिनांक 13.07.2021 द्वारा नियमित विभागीय जांच संस्थित की गई है। जांच पूर्ण होकर प्रकरण निर्णय हेतु विचाराधीन है।
5	श्री राकेश कुमार पाठक, सेवा निवृत्त भावसे, तत्कालीन वन संरक्षक/ वनमण्डल अधिकारी एवं पदेन प्रबंध संचालक, जिला यूनियन उमरिया	श्री राकेश कुमार पाठक, भावसे दिनांक 31.08.2015 को अपनी अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अखिल भारतीय सेवाएं (डीसीआरबी) नियम-1958 के नियम-6 अनुसार 4 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः श्री पाठक के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1849/1418/2021/10-4 दिनांक 10.12.2021 द्वारा नस्तीबद्ध किया गया है।
6	श्री टी.एस.चतुर्वेदी, सेवा निवृत्त भावसे, तत्कालीन वन संरक्षक/ वनमण्डल अधिकारी एवं पदेन प्रबंध संचालक, जिला यूनियन उमरिया	श्री टी.एस. चतुर्वेदी, भावसे दिनांक 31.07.2018 को अपनी अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अखिल भारतीय सेवाएं (डीसीआरबी) नियम-1958 के नियम-6 अनुसार 4 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः श्री पाठक के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1698/1419/2021/10-4 दिनांक 10.11.2021 द्वारा नस्तीबद्ध किया गया है।

क.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	की गई कार्यवाही
1	2	3
7	श्री आर.पी.एस.बघेल, सेवा निवृत्त भावसे, तत्कालीन वन संरक्षक/वनमण्डल अधिकारी एवं पदेन प्रबंध संचालक, जिला यूनियन उमरिया	श्री आर.पी.एस. बघेल, भावसे दिनांक 31.07.2018 को अपनी अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अखिल भारतीय सेवाएं (डीसीआरबी) नियम-1958 के नियम-6 अनुसार 4 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः श्री बघेल के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण विभाग के ज्ञाप क्रमांक 1383/1069/2021/10-4 दिनांक 02.09.2021 द्वारा नस्तीबद्ध किया गया है।
8	सुश्री वासू कनौजिया, भावसे, तत्कालीन वनमण्डल अधिकारी एवं पदेन प्रबंध संचालक, जिला यूनियन उमरिया	म.प्र. शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक F-1/1/19/0050/2022-Sec-4-10 दिनांक 10.08.2023 से प्रकरण में सुश्री कनौजिया को भविष्य के लिए सचेत करते हुए राज्य शासन द्वारा विचाराधीन प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया गया है।
9	श्री एम.एस.लाडिया, सेवा निवृत्त भावसे, तत्कालीन वन संरक्षक/वनमण्डल अधिकारी एवं पदेन प्रबंध संचालक, जिला यूनियन उमरिया	श्री एम.एल. लाडिया, भावसे अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31.12.2016 को सेवानिवृत्ति हुये हैं। अखिल भारतीय सेवाएं (डीसीआरबी) नियम-1958 के नियम-6 अनुसार 4 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः श्री लाडिया के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण विभाग के पत्र दिनांक 28.02.2023 द्वारा नस्तीबद्ध किया गया है।
10	श्री प्रदीप मिश्रा, भावसे, तत्कालीन वनमण्डल अधिकारी एवं पदेन प्रबंध संचालक, जिला यूनियन उमरिया	म.प्र. शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक F-1/1/19/0002/2023-Sec-4-10 दिनांक 15.02.2023 द्वारा पदस्थापना अवधि मात्र 01 दिन होने पर्याप्त आधार नहीं होने के कारण प्रकरण में बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किया है।
11	श्री एस.के. शर्मा, सेवा निवृत्त भावसे, तत्कालीन वनमण्डल अधिकारी एवं पदेन प्रबंध संचालक, जिला यूनियन उमरिया	म.प्र. शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक F-1/1/19/0060/2022-Sec-4-10 दिनांक 01.03.2023 द्वारा श्री शर्मा की वर्ष 2013 की पदस्थ अवधि की होकर लगभग 09 वर्ष पुरानी है। अखिल भारतीय सेवाएं (डीसीआरबी) नियम-1958 के नियम-6 (1)(b)(ii) के अनुसार यदि कार्यवाही सेवा निवृत्ति के 04 वर्ष पूर्व घटित घटना के संबंध में यदि सेवा में रहते हुए संस्थापित नहीं हुई है, तो अब संस्थापित नहीं हो सकती। अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं होने से राज्य शासन द्वारा विचाराधीन प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
12	श्री अजय पाल सिंह, सेवा निवृत्त भावसे, तत्कालीन वनमण्डल अधिकारी एवं पदेन प्रबंध संचालक, जिला यूनियन उमरिया	म.प्र. शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक F-1/1/19/0057/2022-Sec-4-10 दिनांक 08.02.2023 द्वारा श्री सिंह की वर्ष 2014 की पदस्थ अवधि की होकर लगभग 08 वर्ष पुरानी है। अखिल भारतीय सेवाएं (डीसीआरबी) नियम-1958 के नियम-6 (1)(b)(ii) के अनुसार यदि कार्यवाही सेवा निवृत्ति के 04 वर्ष पूर्व घटित घटना के संबंध में यदि सेवा में रहते हुए संस्थापित नहीं हुई है, तो अब संस्थापित नहीं हो सकती। अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं होने से राज्य शासन द्वारा विचाराधीन प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
13	श्री ए.एस.तिवारी, सेवा निवृत्त भावसे, तत्कालीन वनमण्डल अधिकारी एवं पदेन प्रबंध संचालक, जिला यूनियन उमरिया	म.प्र. शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक F-1/1/19/0059/2022-Sec-4-10 दिनांक 17.03.2023 द्वारा श्री तिवारी की वर्ष 2012 की पदस्थ अवधि की होकर लगभग 10 वर्ष पुरानी है। अखिल भारतीय सेवाएं (डीसीआरबी) नियम-1958 के नियम-6 (1)(b)(ii) के अनुसार यदि कार्यवाही सेवा निवृत्ति के 04 वर्ष पूर्व घटित घटना के संबंध में यदि सेवा में रहते हुए संस्थापित नहीं हुई है, तो अब संस्थापित नहीं हो सकती। अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं होने से राज्य शासन द्वारा विचाराधीन प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।

क.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	की गई कार्यवाही
1	2	3
14	श्री रिपुदमन सिंह भदौरिया, भावसे, तत्कालीन वनमण्डल अधिकारी एवं पदेन प्रबंध संचालक, जिला यूनियन उमरिया	म.प्र. शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक F-1/1/19/0058/2022-Sec-4.10 दिनांक 18.04.2023 द्वारा श्री सिंह की पदस्थिति केवल 19 दिवस होने के कारण उनकी प्रभार अवधि में कोई वित्तीय अनियमितता नहीं हुई। अतः राज्य शासन द्वारा विचाराधीन प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
15	श्री निजाम कुरैशी, सेवा निवृत्त भावसे, तत्कालीन वनमण्डल अधिकारी एवं पदेन प्रबंध संचालक, जिला यूनियन उमरिया	म.प्र. शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक F-1/1/19/0061/2022-Sec-4-10 दिनांक 28.02.2023 द्वारा श्री कुरैशी की वर्ष 2012 की पदस्थ अवधि की होकर लगभग 11 वर्ष पुरानी है। अखिल भारतीय सेवाएं (डीसीआरबी) नियम-1958 के नियम-6 (1)(b)(ii) के अनुसार यदि कार्यवाही सेवा निवृत्ति के 04 वर्ष पूर्व घटित घटना के संबंध में यदि सेवा में रहते हुए संस्थापित नहीं हुई है, तो अब संस्थापित नहीं हो सकती। अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का कोई आधार नहीं होने से राज्य शासन द्वारा विचाराधीन प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।

  
 अनुभाग अधिकारी  
 मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग